न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 47/2020(2020/00181)

1. विकास कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार जाति ब्राम्हण जाति रावणा राजपूत निवासी न्यू कॉलोनी पांवर हाउस रोड तहसील सावर जिला अजमेर।

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्रीमति सुगन कंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी गढ़ के पास सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

——— अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड
अप्रार्थी वकील— श्री मिठू सिंह राठौड
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 14.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2073—76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
1434—299	6063/2211	0.32	बारानी 3
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.32	

उक्त वादग्रस्त आराजीयात के पास अप्रार्थी की आराजीयात खसरा संख्या 6108/2212, 6274/ 2212 स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के मध्य काफी दूरी है तथा मध्य मे एक पानी की आव स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के सटाकर उत्तरी और के पडोसी ने स्वंय की भूमि मे पुख्ता दीवार बना रखी है इस कारण उत्तरी और की सीमा का किसी प्रकार का कोई विवाद नही है अप्रार्थी ने गलत एवं अवैध रूप से पास की राजकीय भूमि खसरा संख्या 2212 के कुछ हिस्से पर गलत एवं अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है अवैध कब्जा कर रखा है जिसके चलते आये दिन प्रार्थी से उसकी खातेदारी भूमि के बाबत सीमा विवाद करते रहते है लडाई झगडा करते रहते है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात व अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काबिज भूमि खसरा संख्या 2212 की उक्त आराजीयात के मध्य पूर्व में जो मेड सीमाबन्दी थी उसे धीरे धीरे अप्रार्थी द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया हटा दिया गया । अप्रार्थी ने सीमा विवाद करते हुये दिनांक 20/06/2020 को प्रार्थी के खेत की दक्षिणी मेढ को तोडकर हटा दिया आये दिन प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उक्त आराजीयात के संबंध में सीमा विवाद होते रहते है लडाई झगडा होता रहता है दिनांक 20/06/2020 को भी अप्रार्थी व उसका परिवार एकराय होकर आराजीयात पर आये अप्रार्थी ने प्रार्थी की मेढ का तोड दिया व प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

से सीमा विवाद करने लगे। व प्रार्थी के साथ गाली गलौच कर कहा कि हम किसी सीमा रेखा को नही मानते ना ही तुम्हें उक्त खेतो के मध्य कोई डोल या मेड या तारबन्दी करने देगे तभी से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अतः प्रार्थी की उक्त खातेदारी कब्जे स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 6063/2211 वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर का सीमाज्ञान कराया जाकर प्रार्थी की भूमि व राजकीय भूमि खसरा संख्या 2212 की मध्य सीमा रेखा पर पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर कहा कि खसरा संख्या 3063/2211 की पत्थरगढ़ी किये जाने से राजहित प्रभावित नही होता अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है:-

प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 में वर्णित खसरा नम्बर 6108/2212, 6274/2212 की भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी की होना स्वीकार है शेष कथन पास स्थित होना अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थी के पास स्थित नही है प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 व 7 कतई गलत वर्णित होने से अस्वीकार है गलत मिथ्या, झूंठे आरोप लगाये है जो अस्वीकार है क्योंकि सरकार भूमि खसरा संख्या 2212 पर अप्रार्थीया का कब्जा नही होकर अन्य व्यक्ति का है जिसे प्रार्थी ने पक्षकार नही बनाया है तथा झूंठे आरोप मनगढत दिनांक 20.6.2020 को मेड को तोड देने व सीमा विवाद करने के कथन गलत होने से अस्वीकार है किसी प्रकार का विवाद नही हुआ न ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का करण ही उत्पन्न हुआ है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के पड़ौसी खसरा नम्बर 5958/2211 खसरा नम्बर 2296, खसरा नम्बर 6207/2211 के खातेदारों का पक्षकारा नही बनाने के कारण उक्त पत्थरगढ़ी का प्रार्थनापत्र कानूनन चलने योग्य नही है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया।

पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम सावर तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2073-76 के खाता संख्या नया पुराना 1434-299 के खसरा संख्या 6063/2211, कुल रकबा 0.3200हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला-अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with CamScanner